

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

संशोधित कार्यविभाजन आदेश

क्रमांक- 81 (एक-दो-01)07

सागर, दिनांक 17.06.2025

मैं महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर संशोधित कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 51 / (एक-दो-01)07 दिनांक 25.04.2025 में सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 214, 422 (2) और धारा 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

कण्डिका क्रमांक 02 की उपकण्डिका 08 अथार्त "अन्य जिला स्थापनाओं से प्राप्त होने वाले निष्पादन प्रकरण जो कि जिला मुख्यालय सागर के क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं, स्वतः न्यायालय में संस्थित माने जावेंगे" विलोपित की जाती है, अन्य जिला स्थापनाओं एवं जिला स्थापना सागर के अन्य तहसील मुख्यालयों से प्राप्त होने वाले निष्पादन प्रकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा अन्य न्यायालयों में विधिवत सुनवाई व निराकरण हेतु अंतरित किये जा सकेंगे।

नोट:- 01. उक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष आदेश यथावत रहेगा।

02. यह आदेश दिनांक 18.06.2025 से लागू होगा।

(महेश कुमार शर्मा)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 3553 (एक-दो-01)07

सागर दिनांक: 17.06.2025

प्रतिलिपि:-

1. समस्त न्यायाधीशगण जिला स्थापना सागर।
2. ऑब्जेक्शन क्लर्क सागर।
3. प्रस्तुतकार/निष्पादन लिपिक, प्रधान जिला न्यायाधीश, सागर।
4. आवक लिपिक, कार्यालय अनुभाग सागर।
5. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सागर
की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

07/2